



## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या - 192/2016 .....जिला.... बीकानेर.....

उनवान - महेश प्रजापत पुत्र श्री सुखराम प्रजापत, बीकानेर बनाम जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.11.2016	<p><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u> <u>श्री राजीव चौधरी, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं एवं विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा यह अपील जरिये अधिवक्ता श्री तेजेन्द्र सिंह अन्तर्गत धारा 9(ए) राजस्थान आबकारी अधिनियम प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.02.2012 के जरिये अपीलार्थी पर 2,50,000/- की मांग सृजित की है, जिसके विरुद्ध कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने हेतु 75 प्रतिशत राशि जमा करवाना बाध्यकारी है। अपीलार्थी ने प्रकरण में 75 प्रतिशत जमा की रसीद प्रस्तुत नहीं की है एवं ना ही अतिरिक्त आयुक्त आबकारी के आदेश के विरुद्ध धारा 9ए के तहत अपील प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। उक्त कमीपूर्तियों को पूर्ण करने हेतु अपीलार्थी अधिवक्ता को कर बोर्ड द्वारा नोटिस संख्या 22410 दिनांक 13.07.2016, नोटिस संख्या 27683 दिनांक 09.09.2016 एवं रजिस्टर्ड नोटिस 27684 दिनांक 09.09.2016 प्रेषित किये गये, लेकिन अपीलार्थी अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए।</p> <p>उक्त कमीपूर्तियां पूर्ण करने के अभाव में यह अपील कर बोर्ड में पोषणीय (Maintainable) नहीं है, अतः अपील ग्रहण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">               सदस्य 04/11/16              राजस्थान कर बोर्ड              अजमेर         </div> <div style="text-align: center;">               सदस्य              राजस्थान कर बोर्ड              अजमेर         </div> </div>	